# बाल अधिकार पैरालीगल वालेंटियर नियमावली



## मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर

**Only for Private Circulation**
**Resource Material: Courtesy UNICEF**

# अनुक्रमणिका


| क्र. | विषय | पृ.क्र. |
|---|---|---|
| 1 | प्रस्तावना | 1 |
| 2 | बाल अधिकार पैरालीगल वालेंटियर | 1 |
| | • बाल अधिकार पैरालीगल वालेंटियर्स की भूमिका और जिम्मेदारियां | 2 |
| | • बाल अधिकार पैरालीगल वालेंटियर्स की आवश्यकता | 2–3 |
| 3 | बाल अधिकारों का परिप्रेक्ष्य | 4 |
| | • बाल अधिकार जरूरी क्यों? | 4 |
| | • बाल अधिकार संबंधित विभिन्न कानूनों का संक्षिप्त विवरण | 4–5 |
| 4 | बाल अधिकार पैरालीगल वालेंटियर का कार्यक्षेत्र | 6 |
| | • कार्य संबंधी महत्वपूर्ण बिंदु | 6–9 |
| | • रिपोर्ट की विषयवस्तु | 9 |
| | • मध्यप्रदेश मौसम चक्र | 10 |
| | • समन्वय तंत्र | 11 |
| 5 | कार्य क्षेत्र में याद रखने योग्य कौन सी महत्वपूर्ण बाते | 12–15 |
| 6 | बाल अधिकारों को सुनिश्चित करने वाले अधिनियम, योजना और टिप्पणी | 16 |
| | • किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 | 16–18 |
| | • बालक एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 | 19–21 |
| | • शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) – बालकों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 | 21–24 |
| | • बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 | 24–26 |
| | • अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 | 27 |
| | • बच्चों के विरूद्ध अपराधों के संबंध में प्रावधान : भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) | 28–29 |
| | • लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 | 29–32 |
| | • नालसा (बच्चों के लिये विधिक सेवाएँ और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2015 | 33–35 |
| | • समापन टिप्पणी | 35 |

# बाल अधिकार पैरालीगल वालेंटियर नियमावली

## प्रस्तावना

यह पुस्तक बाल अधिकार पैरालीगल नियमावली का एक संक्षिप्त सार है, इस पुस्तक में पैरालीगल नियमावली को सरल व प्रश्न–उत्तर के रूप मे लिखा गया है। जिसके माध्यम से पैरालीगल वालेंन्टियर बाल अधिकार पैरालीगल नियमावली का उपयोग सुचारू रूप से कर सकते है।

यह बाल अधिकार पैरालीगल नियमावली वह दस्तावेज है जिसका इस्तेमाल पूरे देश में कार्यरत कोई भी पैरालीगल वालेन्टियर व उनके साथ बाल अधिकार के मुद्दे पर काम करने वाला कोई भी स्वयंसेवक कर सकता है।

### इस पुस्तिका का प्रयोग कैसे करे :-

यह दस्तावेज ज्यादातर उन सभी हिस्सों को समाविष्ट करता है जो कि प्रशिक्षण के दौरान शामिल किए गये है। प्रशिक्षण की तरह ही यह नियमावली परिप्रेक्ष्य, नजरिया, सूचना और साथ ही बाल अधिकार के कार्य के लिये जरूरी पैरालीगल वालेन्टियर्स के कौशल पर और इन मुद्दो से जुड़ने वाले नये लोगो की जरूरतो पर केन्द्रित है। एक पैरालीगल वालेन्टियर अपने कार्यक्षेत्र में इस नियमावली का उपयोग सन्दर्भ सामग्री के तौर पर आसानी से कर सकता है।

हम आशा करते है कि सभी पैरालीगल वालेन्टियर्स जिन्होनें बच्चों के लिये एक सुरक्षित माहौल बनाने की जिम्मेदारी उठाई है उनके लिये यह पुस्तक और अधिक दक्षता से कार्य पूरा करने में सहायक होगी।

## बाल अधिकार पैरालीगल वालेंटियर

**प्र. पैरालीगल वालेन्टियर कौन होते है?**

उ.पैरालीगल वालेन्टियर वह व्यक्ति होता है, जिसके पास कानून के औपचारिक अभ्यास की डिग्री या सनद नही होती, परंतु जो कानूनो और उनके उपयोग के बारे में तमाम जानकारी रखते है।

**प्र पैरालीगल वालेन्टियर के कर्तव्य क्या होते है?**

उ. पैरालीगल वालेन्टियर के कर्तव्य निम्नलिखित है :–

(i) कानूनी जानकारियों के प्रचार–प्रसार में सहायता करना जैसे मामले की जाँच, अनुसरण इत्यादि में सहायता करना।

(ii) कानूनी प्रक्रिया के पहले के कामों में सहायता करना जैसे एफ.आई.आर दर्ज कराने में मदद करना।

(iii) लोगो के मन से कानूनी प्रक्रियाओ का भय दूर करना।

(iv) लोगो को कानूनी प्रक्रियाओं के तकनीकी पहलुओ को समझाना और उनकी सहायता करना।

**प्र. पैरालीगल वालेन्टियर की आवश्यकता क्यों है?**

उ. कई लोग सोचते है अदालत जाने से उन्हें न्याय मिल जाएगा लेकिन इससे अलग पैरालीगल वालेंन्टियर अदालतों मे अपनायी जाने वाली प्रक्रियाओं को समझता है और उनके क्षेत्राधिकारों के बारे में भी जानकारी रखता है और साथ ही साथ अधिकारों के आधार पर कानूनी प्रावधानों का लाभ प्रदाय कराने का कौशल भी रखता है।

पैरालीगल वालेन्टियर वकीलो, न्यायप्रणाली और समुदाय के बीच की कड़ी का काम करता है।

# बाल अधिकार पैरालीगल वालेन्टियर के काम का इकोसिस्टम

1. सेवाएं पहुँचाना और एफ.आई.आर दर्ज कराने में मदद करना, बच्चो को छात्रवृत्ति इत्यादि मे मदद करना।
2. शिक्षा एवं जागरूकता– सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रम के जरिए लोगो को उनके अधिकारों के बारे में जानने के लिए प्रोत्साहित करना।
3. विभिन्न तरीको का प्रयोग करके सामुदायिक झगड़ो का समाधान करवाने में सहायता।
4. शोध एवं डाटा संग्रह।
5. अदालत की कार्यवाही में सामाजिक दृष्टिकोण जोड़ना, कार्यवाही के दौरान सामाजिक दृष्टिकोण बनाने में वकील की सहायता करना।

**प्र. बाल अधिकार पैरालीगल वालेंन्टियर कौन होते है?**

उ.बाल अधिकार पैरालीगल वालेन्टियर किसी आम पैरालीगल वालेन्टियर की तरह ही कार्य करते है, बस वह बच्चो के अधिकारों पर काम करते है और वह बच्चों के सर्वोत्तम हित का ध्यान रखते है। इनका कार्य थोड़ा अधिक कठिन हो जाता है क्योकि उन्हें बच्चों के साथ काम करना होता है और कई बार ऐसे मामले संवेदनशील होते है।

**प्र. बाल अधिकार पैरालीगल वालेन्टियर की क्या विशेषताएं होनी चाहिये?**

उ. बाल अधिकार पैरालीगल वालेन्टियर की निम्न विशेषताएं होनी चाहियेः–

1. उनके पास विशेष कानूनों के तहत सभी संरचनाओ को जानने कि विशेषज्ञता होनी चाहिये, जैसे किशोर न्याय अधिनियम और लैगिंक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम की जानकारी।
2. उनके पास सूचना, कौशल और दृष्टिकोण की विशेषता होनी चाहिये।
3. उनमें बच्चो को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का विशेष कौशल होना चाहिये।
4. उनके पास जो भी जानकारियाँ हो, उन्हें जितना संभव हो बेहतर ढंग से बताने की योग्यता होनी चाहिये।

# बाल अधिकारों का परिप्रेक्ष्य

## बाल अधिकार जरूरी क्यों?

**प्र. बाल अधिकार क्या है?**

उ. अगर आसान शब्दों में कहे, तो बाल अधिकार वे है, जो हर बच्चे के लिए पूरी तरह से केवल इसलिये उपलब्ध ह, क्योकि वे बच्चे है। बच्चो की उम्र की अति संवेदनशीलता के कारण उनके लिए विशेष प्रयासों की जरूरत है। बाल अधिकार बच्चे के सम्पूर्ण विकास और उनकी सुरक्षा पर केन्द्रित है।

**प्र. संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता 1989 (UNRC) क्या है?**

उ. बाल अधिकार संधि ऐसा पहला अर्न्तराष्ट्रीय समझौता है जो सभी बच्चों के नागरिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकारो को मान्यता देता है। इस समझोते पर विश्व के ''193'' देशों की सरकारो ने हस्ताक्षर करते हुये अपने देश में सभी बच्चो को जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि के भेदभाव से संरक्षण देने का वचन दिया है। भारत ने 1992 में इस संधि मे हस्ताक्षर कर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

**प्र. संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता 1989 (UNRC) के द्वारा स्थापित सिद्धान्त कौन से है?**

उ. (UNRC) के द्वारा चार मार्गदर्शी सिद्धान्तों की पहचान की गई है, जिनका बच्चों से सम्बन्धित किसी भी मामले में पालन किया जाना चाहिए। वे इस प्रकार हैः–

1) भेदभाव रहित व्यवहार
2) बच्चो का सर्वोत्तम हित
3) जीवन जीने और विकास का सिद्धान्त
4) बच्चो को सुना जाना और सहभागिता का सिद्धान्त

# बाल संरक्षण

| | |
|---|---|
| बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 | इसके अंतर्गत 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना सरकार एवं प्रत्येक माता–पिता का दायित्व है |
| बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 | यह कानून 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के की शादी पर रोक लगाता है। |
| किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 | यह अधिनियम बालको की देखरेख व संरक्षण हेतु बनाया गया है। यह अधिनियम अपराध करने पर बालक को विधि के विरोध में बालक मानता है अपराधी नहीं। |
| संवैधानिक प्रावधान (जिनके माध्यम से बच्चो से सम्बन्धित अधिकतर कानून बनाये गये है। | अनुच्छेद 21, 24, 39, 45, 14, 15, 23, 29, 46 व 47 संविधान के वो अमूल्य अंग है, जो बच्चो के संरक्षण से तात्पर्य रखते है। |
| लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम, 2012 | किशोर और एक वयस्क व दो किशोरो के बीच के शारीरिक संबंधों को ये अधिनियम गैर कानूनी मानता है। 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाना अपराध है। |
| बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 | यह अधिनियम कुछ व्यवसायों में किशोर श्रम पर रोक व कुछ पर नियंत्रण रखता है। 14 साल से कम आयु के व्यक्ति को बच्चा माना गया है। |

# बाल अधिकार पैरालीगल वालेंटियर का कार्यक्षेत्र

## कार्य संबंधी महत्वपूर्ण बिंदु

भारत की कुल आबादी में 46 प्रतिशत बच्चें है ये अपने आप में एक बड़ा कानून क्षेत्र है। शिक्षा स्वास्थ से लेकर पोषण तक जीवन के कई मामलों में बच्चो की जरूरतें अनूठी होती है लेकिन कानून संदर्भ में बच्चों की अनूठी जरूरतों का महत्व कही ज्यादा है। प्रतिदिन सैकड़ों बच्चे न्यायिक तंत्र से रूबरू होते है और इस दरम्यान न सिर्फ बच्चों के भविष्य और किस्मत के बारे में न्याय प्रदाताओ के द्वारा फैसले लिये जाते है बल्कि इसी समय बहुत सारे बच्चे यौन शोषण, मानव तस्करी और सामाजिक बुराईयों वाले अपराध जैसे बाल विवाह, बाल मजदूरी आदि के शिकार होते है। उपयुक्त दोनो ही श्रेणियों की विशेष जरूरतें होती है। जिन्हें साधारण न्याय तंत्र पूरा नही कर सकता।

**प्र. यदि आप किसी पीड़ित बच्चे से मिलते है तो कैसा व्यवहार रखना चाहिए?**
**उ.**

1. पीड़ित से उसके साथ हुए अपराध के बारे में सीधे–सीधे सवाल पूछने से बचे। उससे केवल बुनियादी और प्राथमिक जानकारी हासिल करे।
2. पीड़ित की मनोदशा को परखकर सवाल पेश करे।
3. पीड़ित को अपने बारे में बताए, उसे सरल शब्दों मे समझाए की आगे क्या होगा।
4. पीड़ित को सुरक्षित व सहज महसूस करवाए।
5. पीड़ित को यह समझाए कि जो हुआ उसमें उसका कोई दोष नहीं था।
6. पीड़ित व उसके माता–पिता या अभिभावक को एफ.आइ.आर. दर्ज कराने के लिए राजी करे।

**प्र. एफ.आई.आर. क्या होती है?**
**उ.** एफ.आइ.आर. दंड प्रक्रिया संहिता के अनुच्छेद 154 के तहत दर्ज की जाती है। यह केवल संज्ञेय अपराधों के मामलो में ही दर्ज की जाती है। इसे पीड़ित या उसके माता–पिता या गवाह, कोई भी दर्ज करवा सकता है। 15 वर्ष की आयु से कम के बालक या बालिकाओं को थाने नही बुलाया जा सकता है। यदि पुलिस थाना इंचार्ज शिकायत दर्ज करने से इंकार कर दे, तो पीड़ित पुलिस अधीक्षक को डाक के माध्यम इसकी सूचना दे सकता है।

**प्र. यदि एफ.आई.आर केवल संज्ञेय अपराधो में ही दर्ज की जाती है, तो असंज्ञेय अपराधों में क्या होता है? संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों में क्या अंतर होता है?**
**उ.** असंज्ञेय अपराधों की कोर्ट में शिकायत दर्ज की जाती है। संज्ञेय अपराध गंभीर अपराध होते है जैसे हत्या, बलात्कार आदि। असंज्ञेय अपराध छोटे किस्म के होते है, जैसे चोरी, साधारण शारीरिक चोट आदि।

- **ध्यान रहे**:– यदि मामले में दो से ज्यादा अपराध है और कम से कम एक संज्ञेय है, तो मामला संज्ञेय माना जाएगा, भले ही अन्य अपराध असंज्ञेय हो और बलात्कार एवं शारीरिक शोषण के मामलों में पीड़ित के शरीर की सफाई करने से पहले उसकी मेडिकल जाँच होना चाहिये, यदि पीड़ित एक नाबालिक लड़की है तो उसकी जाँच एक महिला डॉक्टर ही कर सकती है।

**प्र. यदि बाल अधिकार पैरालीगल वालेन्टियर के तौर पर किसी बच्चे के साथ लैंगिक शोषण की संभावना प्रतीत होती है, तब क्या करना चाहिए?**

उ. ऐसे मामलो में लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 19 में रिपोर्ट दर्ज होती है। ऐसे व्यक्ति को, जो किसी लैगिक शोषण के अपराध जो या तो किया जा चुका हो या जिसके होने कि संभावना हो, की जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए–

1) विशेष किशोर पुलिस इकाई या
2) स्थानीय पुलिस को

**प्र. ग्राम में भ्रमण वालेन्टियर की किस प्रकार सहायता कर सकता है?**

उ. यह एक वालेन्टियर को समुदाय से संबंध बनाने व उनका विश्वास जीतने में मदद करेगा। इसके तीन चरण है–

क) तैयारी
ब) इसका संचालन
स) आगे की जानकारी लेना

**क) तैयारी**–आपको ग्राम का नाम, उसकी बुनियादी रूपरेखा, आबादी एवं सामाजिक विविधता के बारे में पता होना चाहिए। वहॉ जाने से पहले स्थानीय राजनेता या सरपंच को सूचित करे।

**ब) संचालन**– कम से कम 10 घरों में जाए। कोशिश करे कि ज्यादा लोगों से मुलाकात हो। स्कूल, ऑगनवाड़ी, पंचायत, आशा कार्यकर्ता एवं सरपंच के पास जरूर जाए। यदि कोई पीड़ित मिले, तो उससे किसी शांत जगह पर बात करें।

**स) अनुसरण**–यदि कुछ न बने तो झूठ न कहे, वापिस आकर उसके बारे में पढ़े। गाँव में वापिस जाएं और क्या प्रगति है उन्हें बताएं और संदेहों को दूर करे।

**प्र. यह लक्षित समूह चर्चाएं क्या है?**

उ. जैसे कि नाम से जाहिर है, यह जागरूकता फैलाने और गुणात्मक तथ्यों को प्राप्त करने का एक बहुत ही प्रभावशाली माध्यम है। इसके तीन चरण है–

1. **तैयारी**–चर्चा के लिए किसी शांत जगह का चुनाव करे। इस जगह पर शौचालय व पेय जल की सुविधा हो। प्रभावशाली चर्चा हेतु एक सहायक की जरूरत होगी जो चर्चा को दर्ज करे व नोट्स ले।

2. **संचालन**–स्वयं व सहायको का परिचय देने के बाद चर्चा के नियम व प्रक्रिया बताए। संचालन करने वाला को चर्चा को वापिस मुद्दे पर लाना होगा यदि वे मुद्दे से भटक जाए। सभी को विनम्र व सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए।
    - प्रत्येक गतिविधि और सवाल के लिये समय निर्धारित करे और कोशिश करे कि वे निर्धारित समय सीमा में ही पूर्ण हो जाए।
    - प्रतिक्रिया व सुझाव ले।
3. **अनुसरण**– चर्चा पर एक रिपोर्ट तैयार करे। यदि आपने कोई वादा किया है तो उस पर अब तक क्या प्रगति हुई है, यह साझा करे। यदि कोई काम दिया है तो कृपया समय सीमा के अंदर प्रतिभागियों से संपर्क करे, और इसे पूर्ण करने के लिए सहायता उपलब्ध कराए।

**प्र. तथ्यान्वेषण क्या होता है? इसका क्या उद्देश्य है?**

**उ.** इसका सरल अर्थ सच की खोज।

उद्देश्य–

1) तथ्यों को खोजना जिनकी मदद से मानवधिकार हनन् से पीड़ित व्यक्ति की जरूरतों को पहचानने में मदद हो।

2) मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में कानूनी प्रक्रिया के दौरान इसे स्थापित करने के लिए तथ्यों का पता लगाना।

3) जानकारी इकट्ठा करना जिसके आधार पर कानूनों को लागू करने में और उनमें सुधार कराने की वकालत की जा सकें।

**प्र. तथ्य कहां खोजे जा सकते हैं?**

1. मीडिया।
2. सरकारी जानकारी।
3. नागरिक समाज संस्थाएं
4. स्थानीय मुखबिर और स्वयं सेवी।

**प्रश्न . प्राथमिक दस्तावेजों का पुनर्मूल्यांकन क्यों जरूरी है ?**

प्राथमिक दस्तावेज बहुत ही अहम होते है और इनका पुनर्मूल्यांकन इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी मुद्दे के संबंध में इसे बहतर समझने के लिए और कानूनी अधिकार खोजने के लिए दस्तावेजो की समीक्षा की जाती है, प्राथमिक दस्तावेज जैसे एफ.आई.आर., मेडिकल जांच रिपोर्ट, फोरेंसिक रिपोर्ट, पंचनामा, कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश आदि।

**प्रश्न . मुख्य जानकारी का विश्लेषण क्यों जरूरी है?**

**उ.** प्राथमिक स्त्रोतों के माध्यम से प्राप्त जानकारी के समर्थन या पुष्टि करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण विधि हो सकती है। जिसमे जानकारी की समीक्षा करना विभिन्न सरकारी विभागो द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट और आंकडे, समितियों, अन्य गैर सरकारी संगठनों और व्यक्ति, अप्रकाशित जानकारी जो सूचना के आधार से हासिल होती है, ये तरीके काफी सरल है जिनसे समय और संसाधनों दोनों की बचत होती है।

उदाहरणः– किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित आदेशों, उसके रिकार्ड की समीक्षा करना, इसके अतर्गत मामलों की सुनवाई व न्याय ढांचे की कमियों का पता चलता है।

## रिपोर्ट की विषयवस्तु

- सार–संक्षेप परिचय जो पृष्ठभूमि का विवरण दे, प्रक्रिया को उद्देश्य, ये कैसे की गई, प्रयुक्त विधि एवं अन्य प्रासंगिक विवरण।
- प्रथम और माध्यमिक सूचना के स्त्रोत जिन पर भरोसा हो।
- प्रासंगिक कानून और न्यायिक सिद्धान्त
- निष्कर्ष और तथ्यो की खोज हेतु टीम द्वारा अनुशंसाएं।
- कानूनी कार्यवाही जो की गई या जो संभवतः की जा सकती है।
- जिन स्थानों पर गए है उनकी सूची, संस्थाएं, दफ्तर और व्यक्ति जिनका साक्षात्कार किया गया है अगर ये जानकारियाँ साझा करना संभव है।
- स्पष्ट नतीजे जो प्रक्रिया से आए है।
- तथ्यों की खोज की प्रक्रिया शुरू होने के बाद जो प्रगति हुई उनका विवरण।

# मध्यप्रदेश मौसम चक्र

मध्यप्रदेश में बाल अधिकारों के मामले पर काम करने और प्रशिक्षण संचालित करने का अनुकूल समयः–

बच्चो की कार्यक्षेत्र में उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिये साल के विभिन्न समयों की जानकारी महत्वपूर्ण है। यह प्रशिक्षण में प्रतिभागियों की भागीदारी और कानूनी मामलों में हस्तक्षेप के लिये भी जरूरी है क्योंकि इन सब मामलों में उनकी उपस्थिति एवं सहभागिता जरूरी है।

- जनवरी और फरवरी– इस समय ज्यादातर बच्चे या तो अपने अभिभावकों के साथ पलायन कर जाते है या घर और बड़ों की देखभाल करते है।
- मार्च, अप्रैल और मई– यह समय शादियों का माना जाता है इसलिये बाल विवाह के लिहाज से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय बाल विवाह के मामले ज्यादा देखने मिलते है। यह समय परीक्षाओं का भी होता है और इस समय स्कूली बच्चो के साथ काम करना आसान होता है।
- जून और जुलाई– इन महीनो में बच्चो के साथ काम करना आसान होता है क्योंकि स्कूल दाबारा जून में खुलते है और उनके साथ काम करने की रणनीति बनाने के लिये अच्छा समय है।
- अगस्त और सितंबर– ये त्यौहारों के महीने है इसलिये समुदाय के साथ काम करने का यह मुश्किल समय है।
- अक्टूबर और नवम्बर– यह समय स्कूलो में मध्यावधि परीक्षाओं और छुट्टियों का होता है, व्यवस्थाओं की वजह से बच्चों को अन्य गतिविधियों मे शामिल करना मुश्किल होता है।
- दिसम्बर– यह महीना बच्चों को गतिविधियों में शामिल करने के लिये अच्छा है।

# समन्वय तंत्र

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
किशोर न्याय बोर्ड
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
न्यायिक अधिकारी, पुलिस, सरकारी संगठन
बाल कल्याण समिति
पैनल वकील

# कार्य क्षेत्र में याद रखने योग्य कौन सी महत्वपूर्ण बातें

**प्र. कार्य क्षेत्र में याद रखने योग्य कौन सी महत्वपूर्ण बातें होती है?**

उ. निम्न महत्वपूर्ण बातें कार्य क्षेत्र में याद रखने योग्य होती है:–

- तथ्यो की जानकारी होना खोज का महत्वपूर्ण हिस्सा है कुछ जरूरी कानूनो की जानकारी, सरकारी जानकारी, आदि होना जरूरी है।
- बातचीत के लिए विविध प्रकार के व्यक्तियों का चुनाव करना जरूरी होता है इसके द्वारा आप कहानी को अलग अलग कोणों से जान सकते है और दोतरफा पड़ताल कर सकते है।
- लोगो के साथ काम शुरू करने से पहले उनका विश्वास जीतना जरूरी है। उनके लिए प्रक्रिया को सहज बनाए। बार–बार आग्रह न करें और उन्हें दोबारा उस पीड़ा से न गुजरनें दे। अगर बच्चे से खुद बात करना उचित नही तो उनके माता पिता या अभिभावकों से जानकारी ले।
- जितनी ज्यादा स्पष्टता से संभव हो, बात करे।
- जानकारियों, दस्तावेजों, फोटो आदि को अच्छे से संरक्षित करें तथा गोपनीयता बनाए रखे।
- तथ्यों की खोज में समय आमतौर पर बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तथ्यों की खोज की गतिविधियों को प्राथमिकता के आधार पर तय करना भी महत्वपूर्ण है।
- तथ्यों की खोज में टीम की जिम्मेदारी होना चाहिये कि वो अपना काम ईमानदारी से करेगी।
- समय और संसाधनो का पूर्ण रूप से इस्तेमाल करने के लिये व्यक्तियों या संस्थानों के साथ काम करे जिनकी इस क्षेत्र में विशेषता है।
- अगर उद्देश्य की पूर्ति संभव नही है तो टीम को पूर्वाग्रहों को समझना चाहिये।
- तथ्यों की खोज का तार्किक रूप से समापन करे।
- कई बार तथ्यों की खोज के संदर्भ में तैयार की जाने वाली रिपोर्ट किसी ठोस निष्कर्ष तक नही पहुँचती, पर ऐसा होने पर भी रिपोर्ट को पूरा करें।

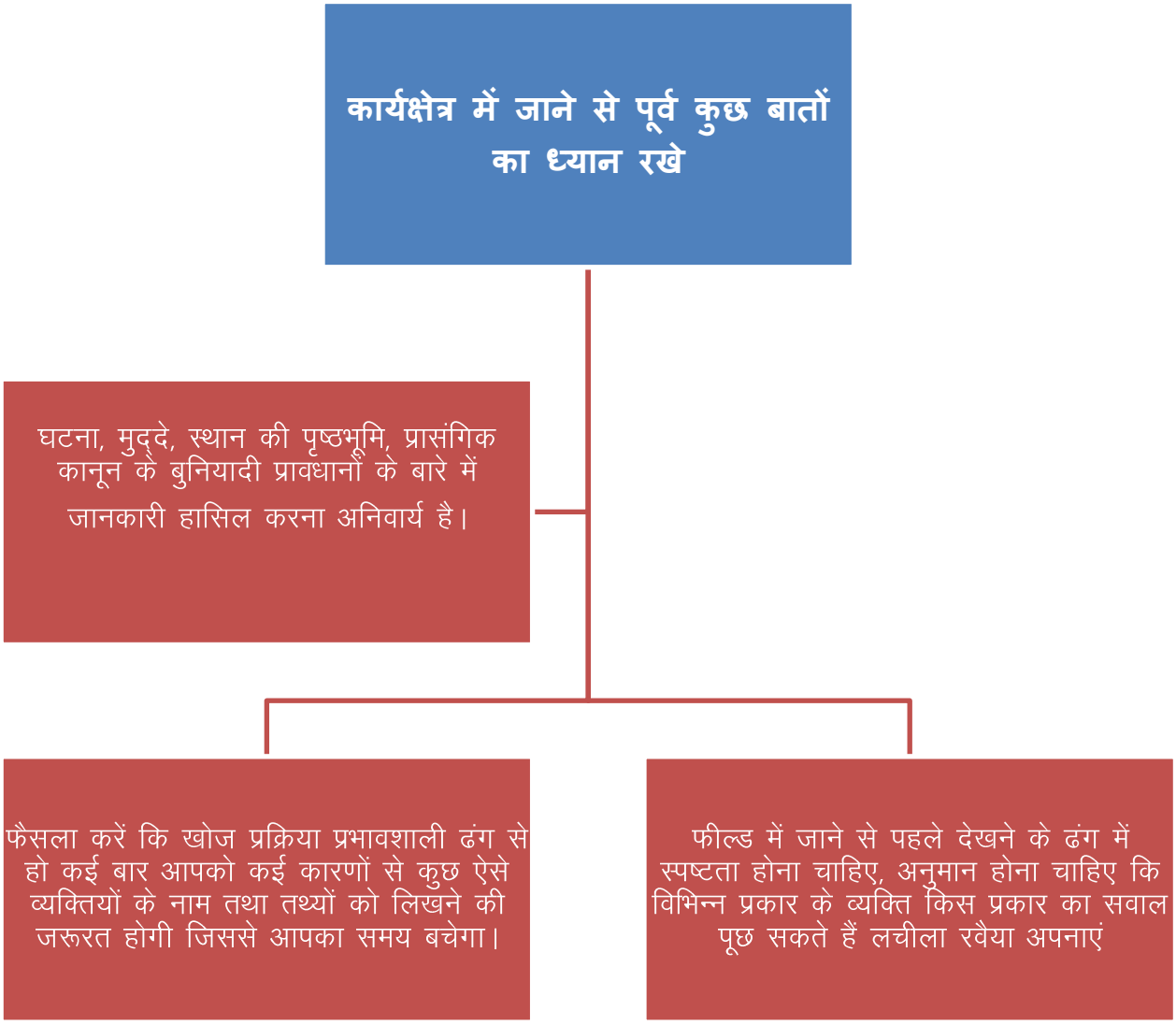
कार्यक्षेत्र में जाने से पूर्व कुछ बातों का ध्यान रखे
घटना, मुद्दे, स्थान की पृष्ठभूमि, प्रासंगिक कानून के बुनियादी प्रावधानों के बारे में जानकारी हासिल करना अनिवार्य है।
फैसला करें कि खोज प्रक्रिया प्रभावशाली ढंग से हो कई बार आपको कई कारणों से कुछ ऐसे व्यक्तियों के नाम तथा तथ्यों को लिखने की जरूरत होगी जिससे आपका समय बचेगा।
फील्ड में जाने से पहले देखने के ढंग में स्पष्टता होना चाहिए, अनुमान होना चाहिए कि विभिन्न प्रकार के व्यक्ति किस प्रकार का सवाल पूछ सकते हैं लचीला रवैया अपनाएं

## कार्यक्षेत्र में कुछ बातों का ध्यान रखें

जब कार्य क्षेत्र में हो तो ज्यादा से ज्यादा उन लोगों से मिले जो घटना के मामले व मुद्दों से जुड़े हो जैसे कि पीड़ित ,उसके परिवार, गवाह, डॉक्टर, सरकारी अधिकारी जो कि उसके मामले से सम्बन्धित हो इसमे आरोपी भी शामिल है ।

लोगों से बात करने के लिए किसी भी उचित नजरिए और तरीके का प्रयोग करें ।

काम को बांटकर करें यदि तथ्य की खोज की प्रक्रिया में दो या दो से अधिक व्यक्ति शामिल हो

आप जिनसे भी बात कर रहे हैं उसकी अनुमति अनिवार्य है

यदि आप बच्चे से बात कर रहे हैं तो उसके माता पिता की अनुमति अनिवार्य है

पीड़ित या उसके परिवार को कानूनी मदद का प्रस्ताव करे, उन्हें दूसरी संस्था व संगठन से मिलवाए जो उनकी जरूरत की पूर्ति कर सकते हैं, जैसे अस्पताल पुलिस व विशेष किशोर पुलिस इकाई, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी आदि।

ध्यान से प्रत्येक विवरण चाहे कितना भी छोटा हो उसे उसे सावधानी पूर्वक दर्ज करे अगर आवाज रिकार्ड कर रहे हैं तो उसने अनुमति जरूर लें, व्यक्ति की अनुमति के बाद आप फोटो ले सकते हैं ,आप जिसका भी साक्षात्कार कर रहे हैं उसे ये अधिकार है कि प्रक्रिया के दौरान ली गई फोटो, दस्तावजों और नोट को देख सकता है

## कार्यक्षेत्र के बाद कुछ बातों का ध्यान रखें

- अगर समूह मे काम किया गया हो तो तथ्य की खोज हेतु समूह के विभिन्न सदस्यों के बीच में काम का बटवारा करें, विभिन्न सूत्रों से मिली जानकारियों को एक जगह ईकट्ठा करें जिन्हे अंतिम शक्ल में लेकर आएं।
- उन सब दस्तावेजों में निहित जानकारी तथा तथ्यों का विश्लेषण करें, जिनकों आपने प्राप्त किया था।
- सरकारी ऑफिस, इंटरनेट या पुस्तकालय आदि के जरिए अतिरिक्त जानकारी को हासिल करें जो तथ्यो की खोज में मददगार साबित हो ।
- घटना के बारे मे खुद की राय बनाने के लिए बातचीत, दस्तावजों, फोटो ,अतिरिक्त अन्वेषण आदि से मिली सभी जानकारियों को परस्पर एक साथ रखें
- समय सीमा के अंदर तथ्यो की खोज की रिपोर्ट तैयार करें। इसे कुछ व्यक्ति मिल कर भी लिख सकते हैं

# बाल अधिकारों को सुनिश्चित करने वाले अधिनियम, योजना और टिप्पणी

## किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015

- अधिनियम का ढांचा :–
  कानून का उद्देश्य विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों या देखभाल और सरंक्षण के लिये जरूरतमंद बच्चों से संबंधित है।
- अधिनियम के तहत् निम्न व्यवस्थाओं हेतु प्रावधान किए गए है:–

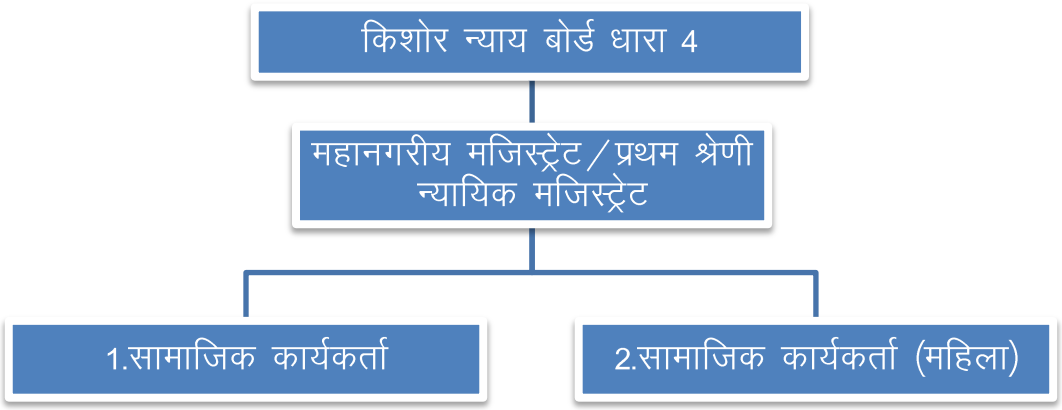


## बाल कल्याण समिति (CWC)

**प्र. बाल कल्याण समिति क्या है?**

उ. प्रत्येक जिले में 1 बाल कल्याण समिति स्थापित को जाएगी। समिति एक बेंच की तरह कार्य करेगी। समिति जरूरतमंद बच्चों की देखभाल, संरक्षण, इलाज, विकास और पुनर्वास के लिए कार्य करती है।

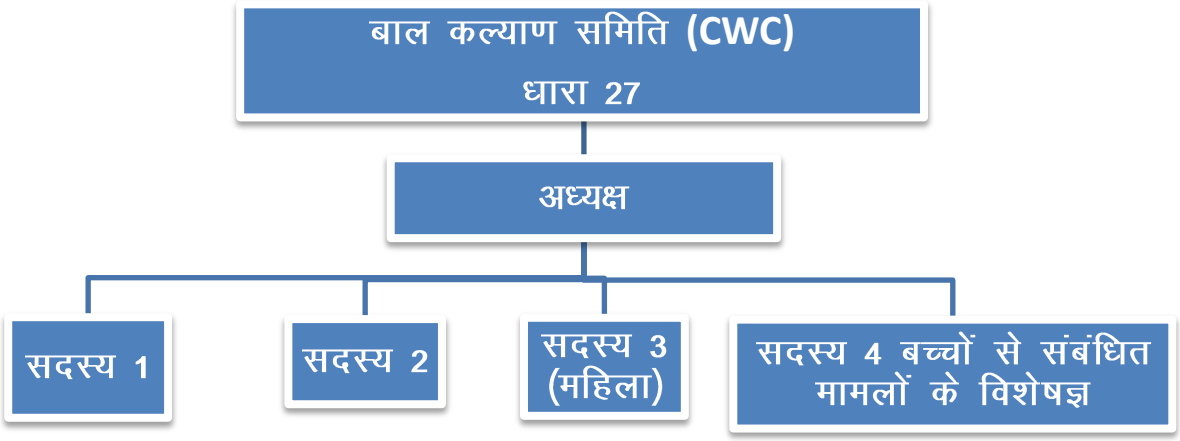

**प्र. बालगृह क्या है?**

उ. प्रत्येक जिले या जिलों के एक समूह में राज्य सरकार द्वारा या गैर सरकारी संगठनों के द्वारा बालगृह स्थापित किए गए है। जिनका मुख्य उद्देश्य बच्चों का पुनर्वास और संरक्षण है।

**प्र. बाल न्यायालय क्या है?**

उ. बाल अधिकार आयोग संरक्षण अधिनियम 2005 तहत एक अदालत स्थापित की गई है। लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत जिला न्यायालयों में विशेष न्यायालय स्थापित किए गए है।

**प्र. कानून में मुख्य पालन पोषण एवं पुर्नवास हेतु क्या प्रावधान है?**

**उ.** इस व्यवस्था में बच्चे की देखरेख के उद्देश्य से उसे एक परिवार में रखा जाता है, जो कि देखरेख के योग्य हो एवं कानून बच्चे के बेहतर भविष्य की ओर देखता है और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कानून का उल्लंघन करने वाले बालको के लिए बालगृह जैसे संस्थान स्थापित किए गये है। उन्हें कभी हिरासत या जेल में नही रखा जाता ।

**प्र. कानून में विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में क्या प्रक्रिया है?**

**उ.** प्रक्रिया के मुख्य बिंदु निम्नानुसार है :–

- बच्चे को 24 घण्टे के अंदर बोर्ड के सामने पेश करना है।
- विशेष किशोर पुलिस इकाई के तहत रखा जाए।
- विधि विरोधी या विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के संबंध में प्रक्रिया अधिनियम के अध्याय–4 में उल्लेखित की गई है।
- बच्चों को उसकी देखभाल के लिए रखे गए विशेष व्यक्ति के द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
- बच्चों को जमानत दी जानी चाहिए या परिवीक्षा अधिकारी की निगरानी में रखा जाना चाहिए।
- बोर्ड मामले की सुनवाई करता है जो कि 4 माह में पूरी होगी, दो माह से अधिक अवधि नही बढ़ेगी।
- बच्चे के मामले में कार्यवाही के लिए बोर्ड के पास भेजा जाएगा। सभी मामलों में बच्चे की देखभाल सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- 16 से 18 साल के बच्चे द्वारा जघन्य अपराध के मामलों में बोर्ड अपराध करने और अपराध के परिणामों को समझने की बच्चे की मानसिकता का मूल्यांकन करता है।

**प्र. देखभाल और सरंक्षण की जरूरत वाले बच्चों के लिये क्या प्रक्रिया है?**

उ. प्रक्रिया के मुख्य बिंदु निम्नानुसार है :–

1. बच्चे को सूचीबद्ध व्यक्ति द्वारा बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

2. कोई बच्चा जिसका परित्याग किया गया हो या अपने परिवार से बिछड़ गया हो या अनाथ हो, उसके संबंध में सूचना 24 घन्टे के अंदर देना चाहिये।
3. बच्चे के बारे में प्राप्त सूचना को सरकार के द्वारा निर्दिष्ट पोर्टल में डालना चाहिये।
4. माता–पिता के द्वारा बच्चे को छोड़ दिए जाने के बाद, माता–पिता को अपने निर्णय के बारे में दोबारा सोचने के लिये दो महीने का समय दिया जाता है।

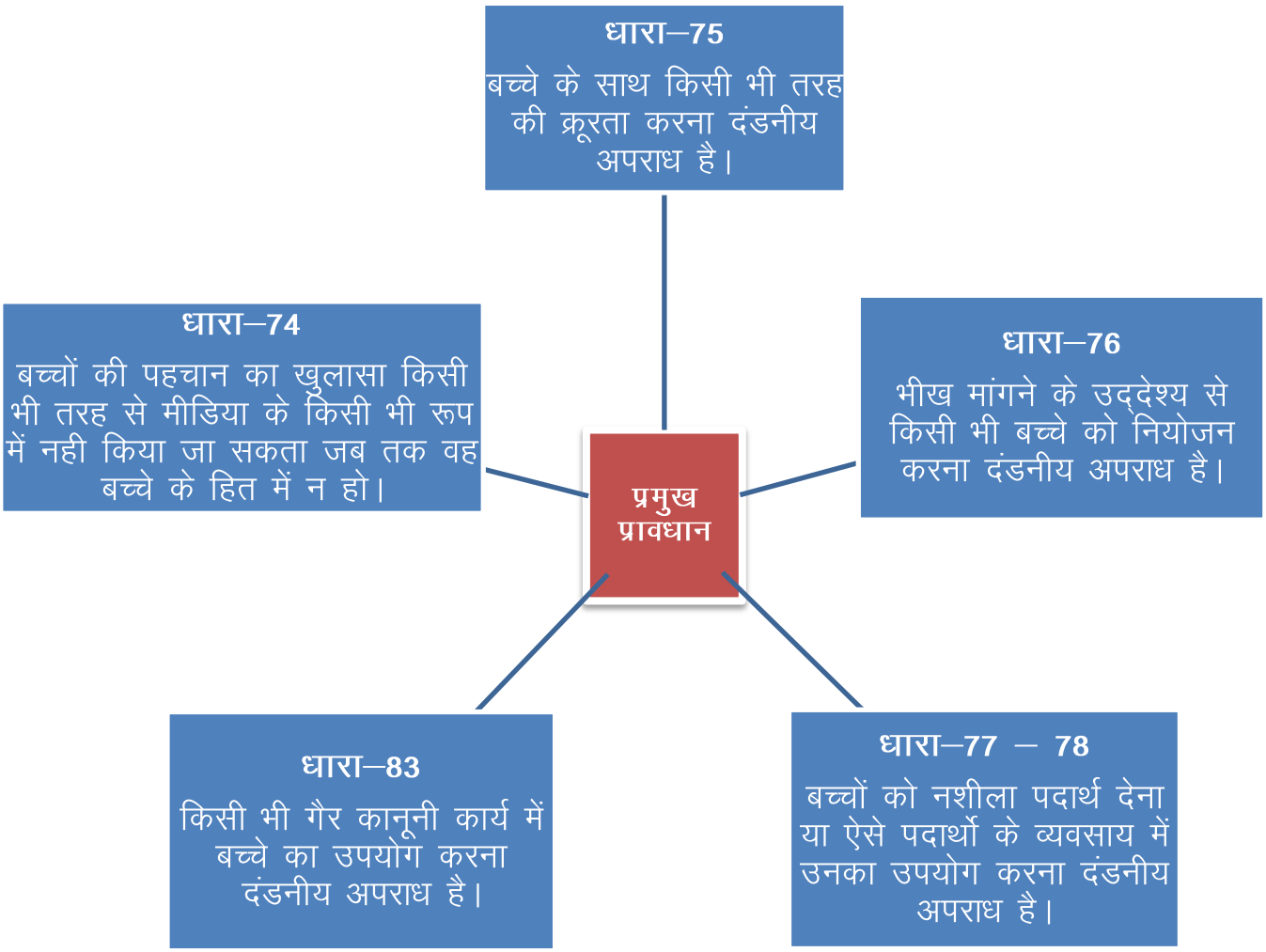

## बालक एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986

इस बात पर अन्तराष्ट्रीय सहमति है कि काम के क्षेत्रो में बच्चो की नियुक्ति शोषणकारी है और बच्चो के विकास में बाधा है।

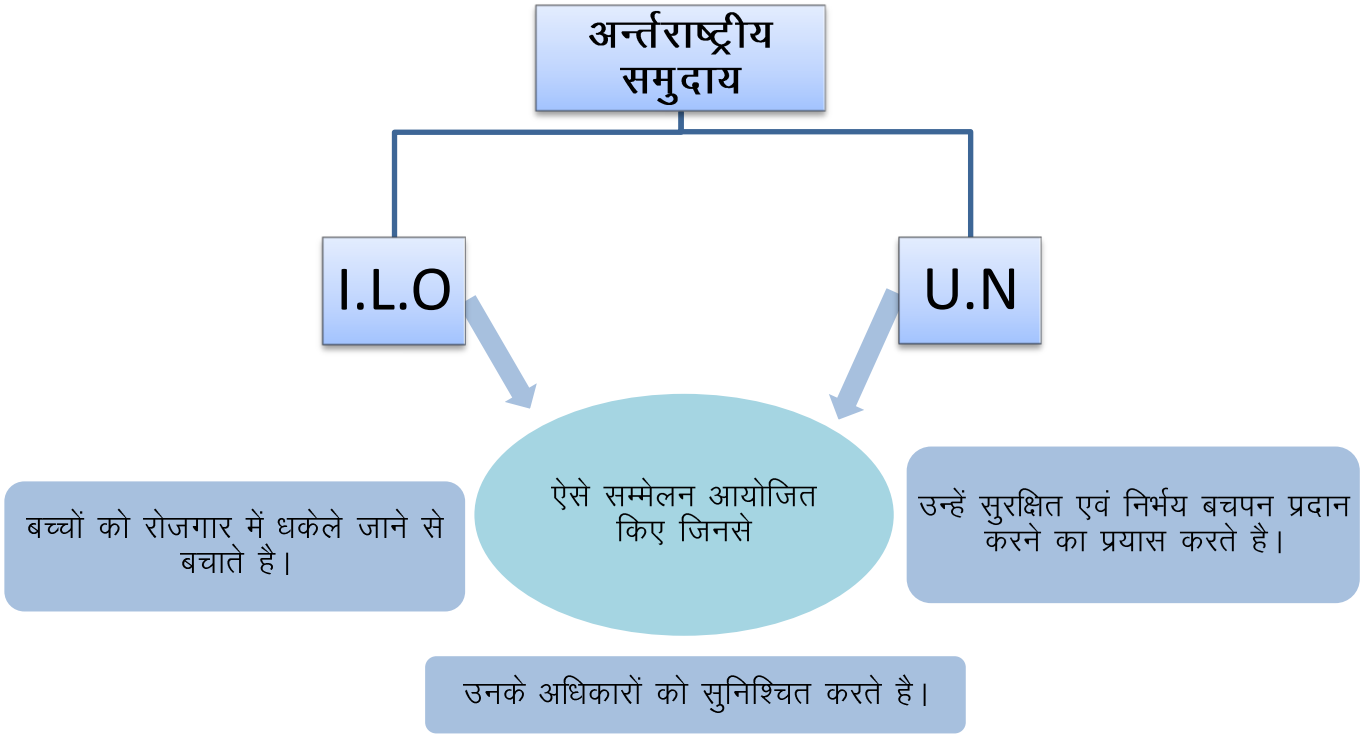


भारतीय संविधान कैसे बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है? यह संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त के शीर्षक से रखा गया है।

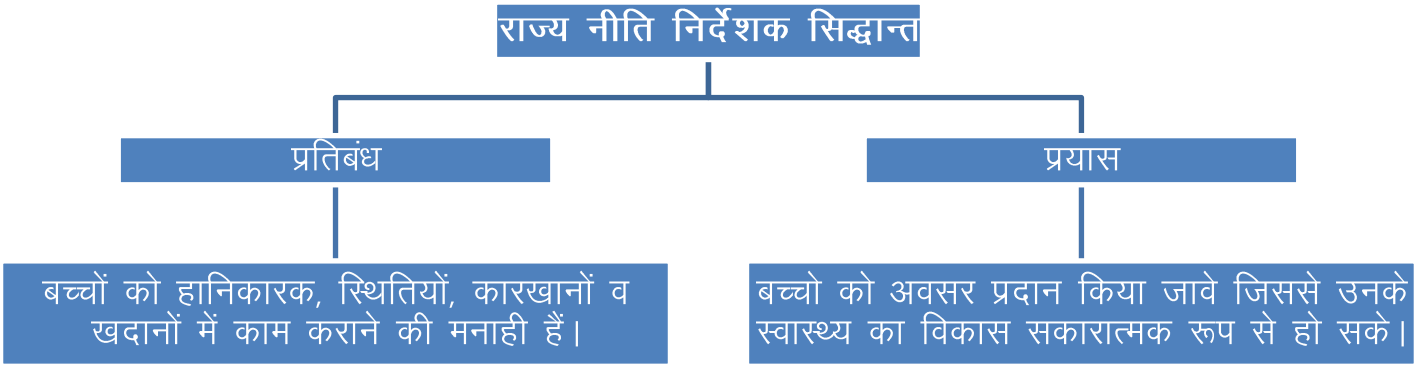

**प्र. क्या भारत में अन्य कानून भी है, जिनसे बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया जा सके?**

उ भारत मे बहुत से कानून है, जिनका उद्देश्य बच्चों को कारखानों और खानों में काम करन से रोकना है।

इस विषय पर निम्नलिखित कानून महत्वपूर्ण है:–

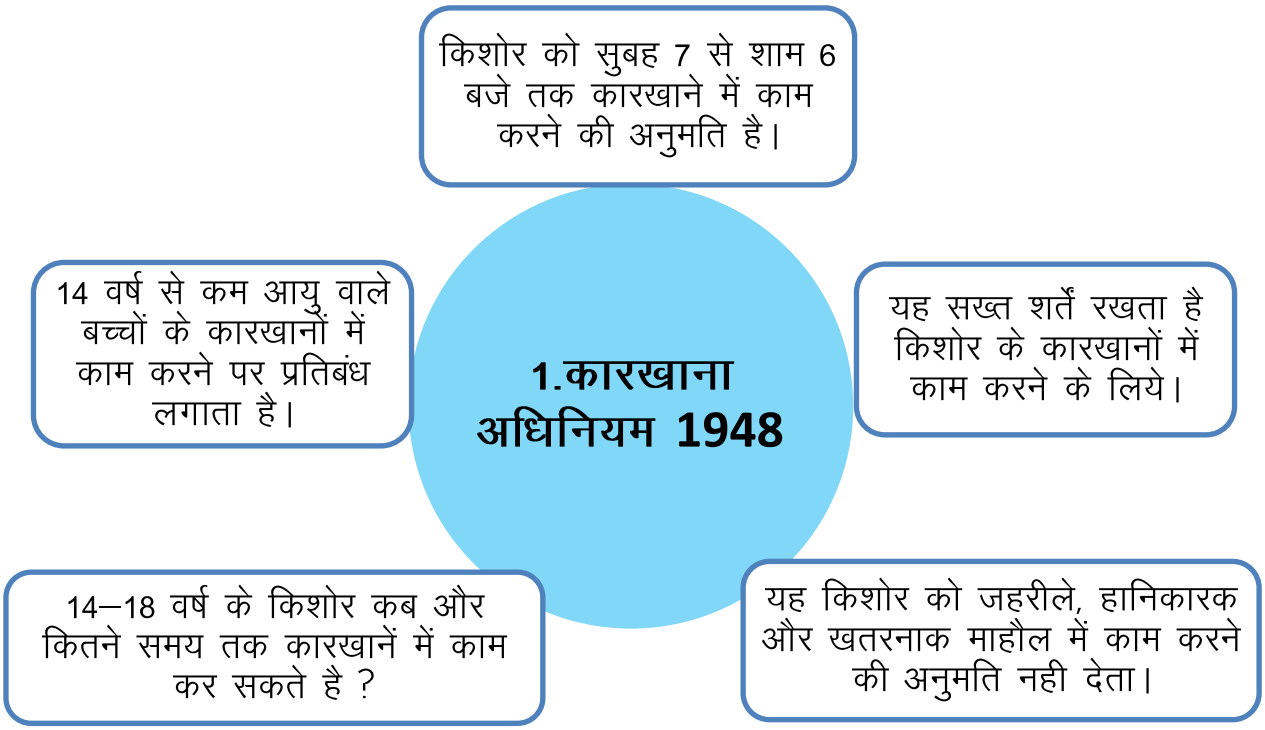


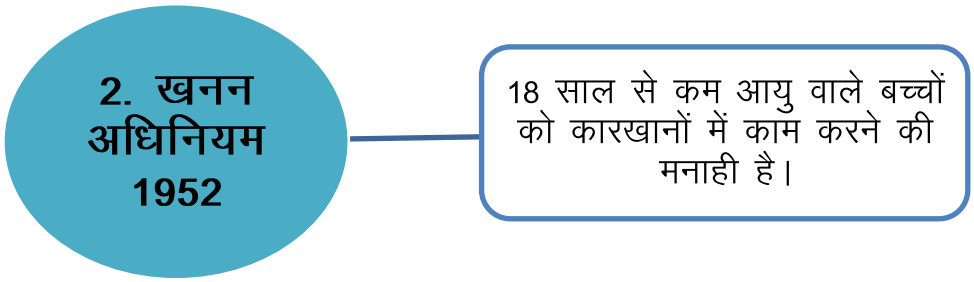


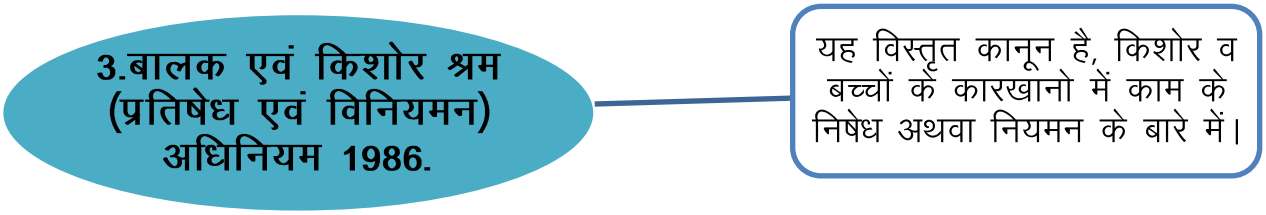

**प्र. इस अधिनियम के अंतर्गत किस तरह के प्रावधान रखे गए है?**

उ. बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के निम्न प्रावधान है–

- 14 वर्ष या 8वी कक्षा तक शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है।
- एक दिन में किशोर के 6 घन्टे से अधिक काम पर प्रतिबंध।
- किशोर व बच्चों (जो मनोरंजन उद्योग) सभी को 1 घन्टे का विश्राम अनिवार्य है।
- किशोर व बच्चों को ओवरटाईम से भी रोकता है।
- यह किशोर को सप्ताह में एक दिन का अवकाश भी देता है।
- नियमो के उल्लंघन पर दंड (कैद 3–6 महीने) तथा जुर्माने का प्रावधान है।

## शिक्षा का अधिकार (RTE)

– बालकों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009

**प्र. इस अधिनियम की आवश्यकता क्यों है?**

उ. भारत सरकार के द्वारा अच्छे स्तर पर साक्षरता दर हासिल करने के लिये बड़े कदम उठाए गए है। वर्ष 2011 के राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के आंकड़े बताते है कि–

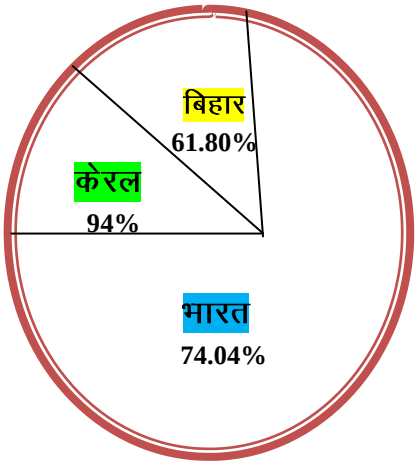


State with lowest rate of Literacy
State with higher rate of Literacy
Total Literacy rate of India

**प्र. शिक्षा के अधिकार की विशेषताएँ क्या है?**

उ. यह अधिनियम प्रत्येक बालक/बालिका जो कि 6 वर्ष आयु से 14 वर्ष आयु के है उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करती है।

- यह अधिनियम बिना किसी भेदभाव के सभी को वैधानिक तौर पर शिक्षा की गारंटी देता है।
- भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21-A को जोड़ते ही शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार एवं मानव अधिकार बन गया।

- शिक्षा के अधिकार की रक्षा, सरंक्षण, सम्मान और पूर्ति करने की जिम्मेदारी राज्य की है।
- प्रावधानों के उल्लंघन पर राज्य को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

**प्र. इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है?**
उ. यह अधिनियम निम्न उद्देश्य पूर्ति की गारंटी देता है।

स्कूल के ढाँचे → शिक्षण के घण्टे → स्कूल के कार्य दिवस → शिक्षको की गुणवत्ता

**प्र. क्या शिक्षा के अधिकार अधिनियम की कुछ सीमाएं भी है?**
उ. यह अधिनियम 06 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शामिल नही करता, हालांकि नर्सरी आदि के स्तर की शिक्षा प्रदान करा सकता है।

**प्र. अधिनियम के अंतर्गत स्थानीय प्राधिकरण से क्या अभिप्राय है?**
उ. बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 2 (h) के अनुसार स्थानीय अधिकरण का अर्थ है:–

- नगर निगम
- जिला परिषद्
- अधिकारी जो कि स्कूल पर प्रशासनिक नियंत्रण रखते है।

## महत्वपूर्ण परिभाषाएं

| बच्चा | कमजोर वर्ग का बच्चा | वंचित समूह का बच्चा | प्रारंभिक शिक्षा |
|---|---|---|---|
| 6 वर्ष से 14 वर्ष के बालक या बालिका | उन परिवारों का बच्चा जिनकी न्यूनतम आय सरकार द्वारा तय की गई आय से कम हो। | अनुसूचित जाति, जन जाति, सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग, | कक्षा पहली से लेकर कक्षा आठवी तक, |

**प्र. निःशुल्क शिक्षा से क्या अभिप्राय है?**

उ. निःशुल्क शिक्षा का अर्थ है किसी भी प्रकार का शुल्क लिए बिना ही बच्चों/बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा राज्य द्वारा पूरी कराई जाए।

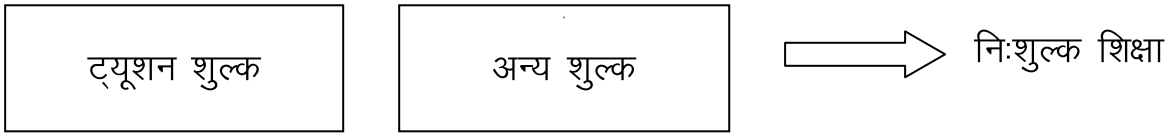


**प्र. राज्य की क्या जिम्मेदारी होती है कि वह अनिवार्य शिक्षा प्रदान करवाए?**

उ. राज्य की पूरी जिम्मेदारी होती है कि वह प्रारंभिक शिक्षा बच्चो को प्राप्त करवाए और यह शिक्षा निःशुल्क व अनिवार्य हो जिसके लिये राज्य को बाध्य किया गया है।

**प्र. क्या शर्तें पूरी न होने पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं?**

उ. यदि शर्तें पूरी न हो तो शिकायत को दर्ज कराने का अधिकार है।

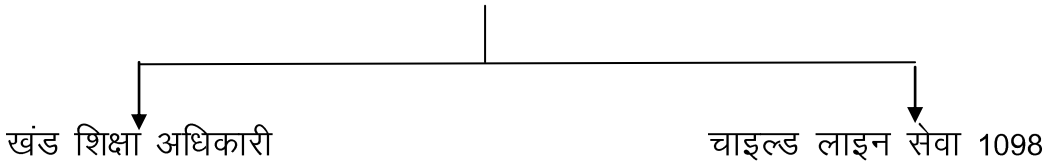


**प्र. इसमें सरकारो की क्या भूमिका व कर्तव्य है?**

उ.

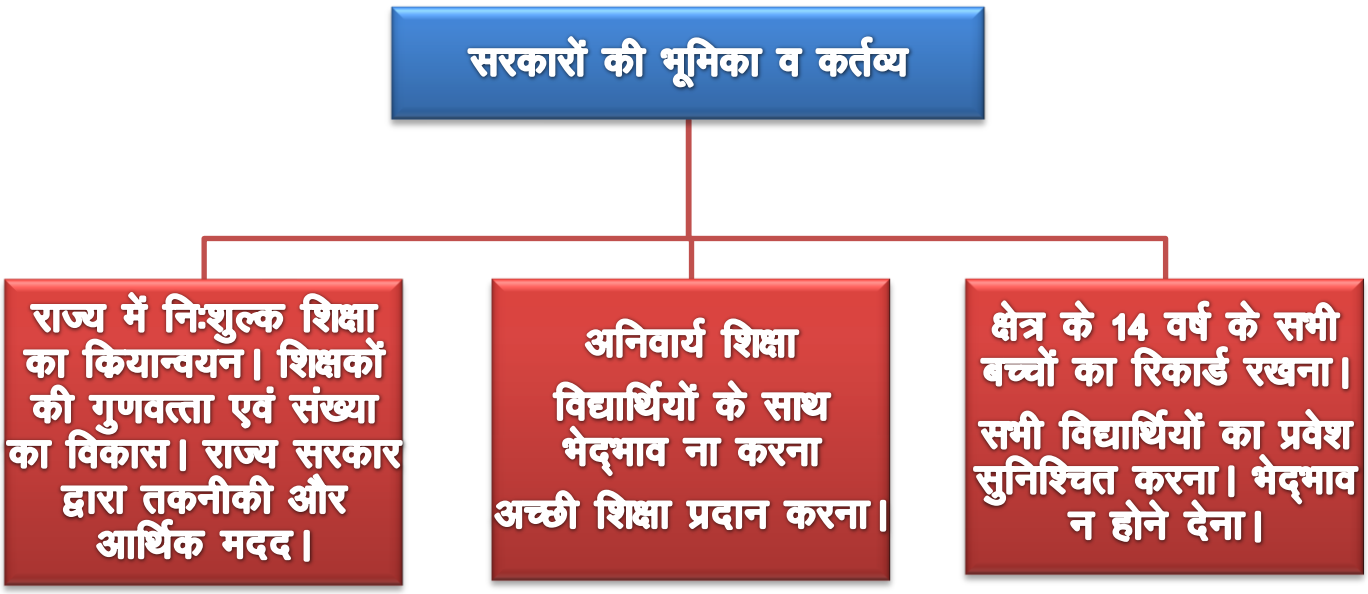

**महत्वपूर्ण बिंदु**

- सभी स्कूलो में 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक और कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित करना।
- बच्चों को बराबर अधिकार देना।
- बच्चों का किसी भी स्कूल में दाखिला।
- समय–समय पर अभिभावको से बात करना और सुनिश्चित करना कि बच्चे समय पर आए जाए और शिक्षा पर ध्यान लगाए।
- शिक्षको द्वारा निजी ट्यूशन दिया जाना प्रतिबंधित है।

## बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006

**प्र. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 लाने के कारण क्या है?**

उ. 1. हमारी परम्परा, रीति रिवाज, प्राचीन सामाजिक प्रवृत्तियाँ और प्रथाएँ बाल विवाह के प्रचलन को बढ़ावा देती है।
2. 1929 के बाल विवाह कानून का प्रभाव सीमित है।
3. बाल विवाह लड़कियों को दुखी जीवन, शोषण, शीघ्र गर्भधारण, उत्पीड़न जैसी सामाजिक बुराईयों की ओर धकेलता है।
4. यह व्यक्तिगत मानवधिकारों और सयुक्त राष्ट्र समझौते मे बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन करता है।

**प्र. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रमुख उद्देश्य क्या है?**

उ. 1) बाल विवाह पर रोक लगाना और उसका उन्मूलन करना है।
2) कानून के प्रावधान देखभाल और सुरक्षा के उन प्रमुख सिद्धांतो पर बात करते है, जिसके बच्चे हकदार है।
3) यह बाल विवाह को एक अपराध के रूप में स्थापित करता है।
4) इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिकारियों को कार्य करने हेतु प्रमुख सिद्धान्त दिए गये है।

**प्र. इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिकारियों को कार्य करने हेतु प्रमुख सिद्धान्त कौन से दिये गये है?**

उ. 1) बच्चों के अधिकारों और गरिमा का सम्मान बनाए रखना।
2) किसी भी आधार पर बच्चों के साथ भेदभाव नही होना चाहिये।
3) सभी कानूनी प्रक्रिया बच्चों के अनुकूल होनी चाहिये।
4) सभी कार्यवाही मे बच्चे की सुरक्षा का सबसे पहले विचार किया जाना चाहिये।
5) पुनर्वास और बचाव के दौरान बच्चों की राय पर विचार किया जाना चाहिये।

**प्र. इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान और प्रक्रिया क्या है?**

उ. कानून के तहत् मुख्य रूप से तीन कदम उठाए जा सकते है:–

1. सबसे पहले अपराधी के अभियोजन से संबंधित प्रावधान है, जिनमें कुछ इस प्रकार है:–
   (i) **धारा 10** – कोई भी व्यक्ति जो बाल विवाह को प्राथमिकता देता है/करता है या करवाता है उसे एक लाख रूपये का जुर्माना और दो साल के कारावास का प्रावधान है।
   (ii) **धारा 11**–जो माता–पिता बच्चे की शादी को बढ़ावा देते है, रोकने में असफल होते है या शादी में हिस्सा लेते है उन्हें भी एक लाख रूपये और दो साल के कारावास के दंड का प्रावधान है।
   (iii) **धारा 13** – न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी या महानगरीय मजिस्ट्रेट, बाल विवाह को रूकवाने के संबंध में आदेश देने की शक्ति रखता है।
   (iv) **धारा 15** – दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के बावजूद अपराधों को संज्ञेय और गैर जमानतीय बनाया गया है।

**प्र. बाल विवाह की शिकायत कहाँ–कहॉ दर्ज कराई जा सकती है?**

उ. किसी भी व्यक्ति के द्वारा पुलिस, बाल विवाह निषेध अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट या बाल कल्याण समिति में बाल विवाह की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

**प्र. CMPO (बाल विवाह निषेध अधिकारी) के द्वारा अपनायी जाने वाली प्रकिया क्या है?**

उ. **धारा 16** के तहत CMPO को बाल विवाह को गंभीरता से रोकने की आवश्यकता है।

1. जिसमें इससे जुड़े हुए पक्ष से मिलकर उन्हें बाल विवाह से संबंधित आपराधिक दण्ड के बारे में जागरूक करना, माता–पिता, बुजुर्गो, बच्चो को बाल विवाह के बारे में संवेदनशील बनाना, पुलिस की सहायता करना और स्थिति पर नजदीक से नजर रखना शामिल है।
2. CMPO निवारक कार्यवाही करने के लिये पुलिस से सम्पर्क कर सकता है और सी. आर.पी.सी की धारा 151 के अन्तर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट को आदेश जारी करने के लिये आवेदन भी कर सकता हैं।
3. बाल विवाह के दुष्प्रभावों के बारे मे समुदाय को जागरूक करने और संवदनशील बनाने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

**प्र. अधिनियम में पुलिस की भूमिका क्या है?**

उ. 1. CMPO या अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा शिकायत मिलने पर पुलिस को तुरंत प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिये और छानबीन शुरू करनी चाहिये।
2. बच्चे को हथकड़ी पहनाना या गिरफ्तार नही करना चाहिये।
4. पुलिस के लिये 24 घन्टे के अन्दर बच्चे को नजदीकी बाल कल्याण समिति या जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाना आवश्यक है।

**प्र. कानून के वो कौन से प्रावधान है जो बाल विवाह को शून्य करने के लिये व्यवस्था उपलब्ध करवाते है?**

उ. 1. **धारा 2** –शादी के लिये लड़की की न्यूनतम उम्र 18 साल एवं लडके की न्यूनतम उम्र 21 साल है।

2. बाल विवाह को रद्द करते हुये अदालत पुरूष के द्वारा महिला को उसकी दोबारा शादी होने तक भरण पोषण संबंधित भुगतान करने का आदेश दे सकती है।
3. **धारा – 14** निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वाला कोई भी विवाह अमान्य माना जाएगा।
4. बाल विवाह से पैदा हुआ कोई भी बच्चा अवैध नही है।
5. **धारा** 12 – बहला फुसलाकर, दबाव से या खरीद फरोख्त से किया गया विवाह अवैध माना जाता है। यह धारा 366 (भारतीय दंड संहिता) में भी एक दंडनीय अपराध है।

**प्र. इस कानून के अंतर्गत प्रशासनिक तंत्र क्या है?**

उ. इस कानून में प्रशासनिक तंत्र जमीनी स्तर तक माना जाता है।

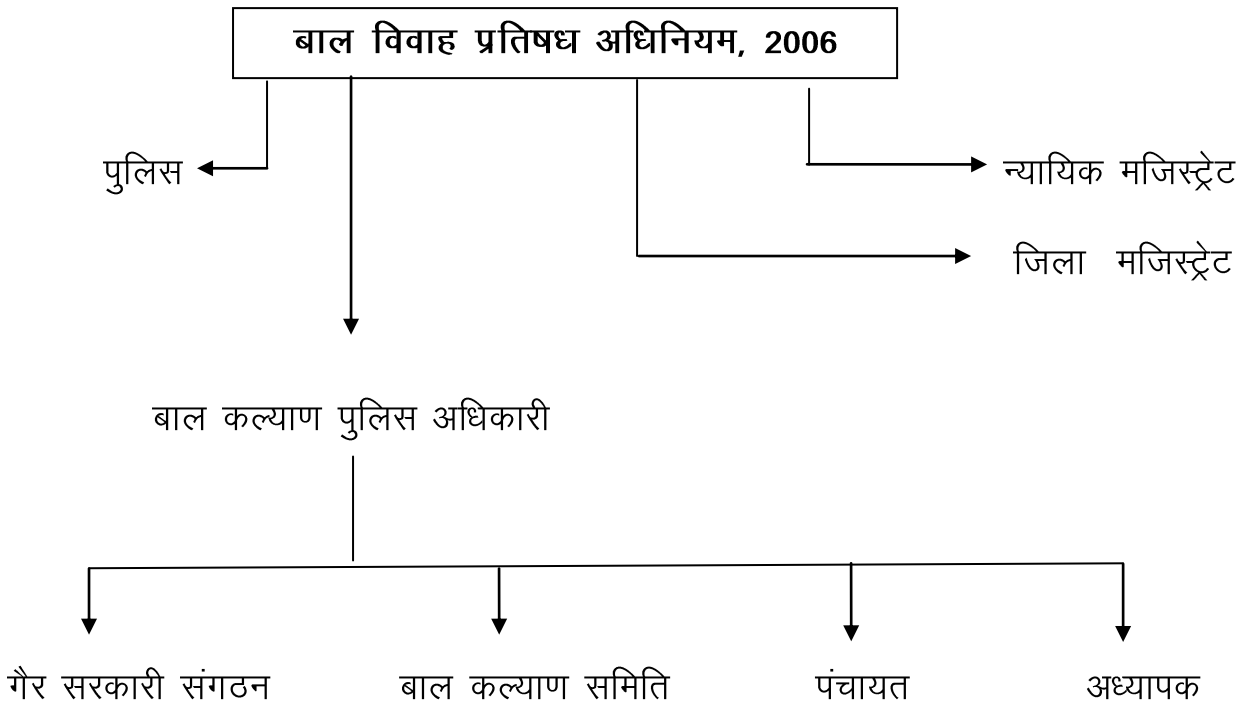

# अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम,1956

**प्र. उक्त अधिनियम पारित करने के कारण क्या है?**

उ. 1. वैश्यावृत्ति की रोकथाम हेतु।
2. मानव तस्करी को प्रतिबंधित करने हेतु।
3. महिलाओं व बालिकाओं की तस्करी की रोकथाम हेतु।

**प्र. अधिनियम के मुख्य बिन्दु क्या हैं?**

उ. 1. अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को बच्चा माना गया है।
2. अधिनियम को बनाने कि मंशा यह है कि वैश्यावृत्ति को अवैध बनाया जा सके और वैश्यालय अथवा उसी समान चल रहे संस्था या वैश्यावृत्ति से आजीविका चलाने वाले दलालो की रोकथाम एवं उन्हें दंडित करने का प्रावधान किया जा सके।

**प्र. अधिनियम की धाराओं का वृतांत क्या है?**

उ. 1. धारा–5 यदि कोई व्यक्ति वैश्यावृत्ति के उद्देश्य से एक बच्चे की खरीद फरोख्त, आदान–प्रदान करता है तो उसे न्यूनतम 07 साल की कारावासीय सजा का प्रावधान है, जिसे बढ़ाकर आजीवन कारावास तक किया जा सकता है।
2. धारा–6 यदि एक व्यक्ति एक बच्चे के साथ वैश्यालय में पाया जाता है, तो यह माना जाएगा कि वह उस बच्चे को वहाँ यौन सम्भोग हेतु कैद करके लाया था, ऐसी अवस्था में उसे 07 साल की कारावासीय सजा का प्रावधान है, जिसे बढ़ाकर आजीवन कारावास भी किया जा सकता है, अथवा 10 वर्ष की सजा व 01 लाख के जुर्माने तक बढ़ाया जा सकता है।
   1) धारा 6 (A) कहती है कि यदि किसी बच्चे को वैश्यालय में पाया जाता है और चिकित्सीय जाँच में उसके साथ यौन दुर्व्यवहार होना पाया जाता है तो यह माना जाएगा कि उसे वैश्यावृत्ति के उद्देश्य से कैद किया गया है।

**प्र. यदि कोई बच्चा वैश्यावृत्ति से उत्पीड़ित पाया जाएगा तब उसकी रक्षा हेतु क्या किया जा सकता है?**

उ. उसकी सुरक्षा हेतु मजिस्ट्रेट के आदेश पर उसे धारा 21 के तहत् राज्य सरकारों द्वारा संचालित सुधारगृह में रखा जा सकता है।

**प्र. यदि किसी स्थापित संस्थान जैसे होटल का मालिक पकड़ा तब क्या प्रावधान है?**

उ. ऐसे कार्यो में लिप्त स्थापित संस्थान जैसे होटल के मालिक के जानकारी के बाद भी कार्य चलता है तो उसे कारावास, जुर्माने के साथ ही होटल का लाइसेंस भी सस्पेन्ड हो सकता है।

अतः सारांश यह है कि यदि कोई व्यक्ति बच्चों कि तस्करी या वैश्यावृत्ति करवाने में लिप्त पाया गया तो उसे 07 साल की सजा, एक बच्चे को यदि यौन

संभोग के लिए कैद किया गया हो तो उसके लिए 07 से 10 साल की सजा का प्रावधान है, वैश्यालय का मालिक होना या उसे चलाना अवैध है एवं व्यवसायिक उद्देश्य से वैश्यावृत्ति भी दंडनीय है।

## बच्चों के विरूद्ध अपराधों से संबंधित प्रावधान (IPC 1860)

भारतीय दंड संहिता भी बालको/बालिकाओं के हितो की रक्षा करता है।

1. जोखिम एवं परित्याग

| क्र. | धारा | अपराध की व्याख्या | दंड |
|---|---|---|---|
| (A) | 317 | बच्चे के माता–पिता, अभिभावक यदि 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे को छोड़ने के इरादे से परित्याग करते है तो यह दण्डनीय है। | 07 साल की कैद अथवा जुर्माना अथवा दोनो। |
| 02 बच्चों की मृत्यु की अवस्था में हत्या का मुकदमा चलाया जायेगा। | | | |
| (B) | 318 | बच्चे के शरीर को गुप्त रूप से दफनाने अथवा नष्ट करने पर, भले ही मृत्यु जन्म के पश्चात् हो या जन्म से पूर्व, इसे अपराध के श्रेणी में रखा जाता है। | 02 साल की कैद अथवा जुर्माना अथवा दोनो। |
| फिरौती, हत्या, विवाह, भीख माँगने हेतु, बंदी बनाने के लिये, वैश्यावृत्ति अथवा अपहरण की मंशा से किया गया कार्य। | | | |
| (C) | 363A | भीख मंगवाने के उद्देश्य से किया गया नाबालिग का अपहरण अथवा उसे विकलांग करना दण्डनीय है। | 10 साल की कैद एवं जुर्माना |
| (D) | 364 | हत्या करने के लिये अपहरण या हत्या के खतरे में रखने के अपराध में व्यक्ति को सजा हो सकती है। | 10 साल की सख्त कैद एवं जुर्माना |
| (E) | 369 | 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को चुराने के इरादे से किया गया अपहरण। | 07 साल की कैद एवं जुर्माना |
| (F) | 372 | नाबालिग को किसी उम्र में रोजगार या वैश्यावृत्ति या अनैतिक यौन सम्बन्ध हेतु मकान बेचता है, किराए पर देता है या ऐसा होने की सम्भावना जानता है कि ऐसे कार्य हेतु उसका इस्तेमाल हो सकता है वह दण्ड का भागी है। | 10 साल की कैद व जुर्माना |
| (G) | 377 | लैगिंक शोषण/लड़को के खिलाफ अप्राकृतिक लैगिंक शोषण | उम्र कैद या 10 वष कैद एवं जुर्माना |

## क्रिमिनल लॉ अमेन्डमेन्ट (संशोधन) एक्ट, 2018

धारा 376 भारतीय दण्ड संहिता :–

| धारा | विवरण | सजा |
|---|---|---|
| 376 (5) | 16 साल से कम उम्र की लड़की का बलात्कार करने पर | कम से कम 20 साल की सजा और आजीवन कारावास के साथ जुर्माना |
| 376 (3) | 16 साल से कम उम्र की लड़की का बलात्कार करने पर | कम से कम 20 साल की सजा |
| 376 (AB) | 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार करने पर | कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान है जो कि आजीवन कारावास में बदल सकती है, साथ ही जुर्माना भी लग सकता है और फांसी का भी प्रावधान है। |
| 376 (DA) और 376 (DB) | 16 साल और 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार करने पर इसमें शामिल प्रत्येक अपराधी को | आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है |

## लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012

**प्र. लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया और**

**इसका लक्ष्य/उद्देश्य क्या है?**

उ. लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 14 नवम्बर 2012 को देश में लागू किया गया ।

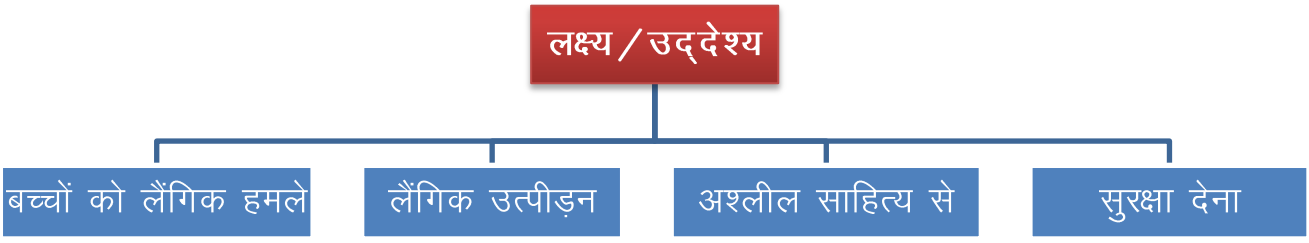

और इन अपराधो की सुनवाई के लिये विशेष अदालत स्थापित करके बच्चो को बाल–अनुकूल तंत्र उपलब्ध करवाना।

**प्र. बालक कौन है और कितने प्रतिशत बच्चे भारत में यौन उत्पीड़न का शिकार हुए है?**

उ. लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत लिंग निष्पक्ष कानून के तौर पर बच्चो की परिभाषा 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति है। भारत में 53 प्रतिशत बच्चे यौन उत्पीड़न का शिकार हुये है।

**प्र. POCSO के अंतर्गत किन अपराधों की बात की गई है?**

उ. POCSO के अंतर्गत निम्न अपराधो की बात की गई है:–

- **गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमला**–इसके तहत् विभिन्न परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है:– किसी विश्वसनीय व्यक्ति या अधिकारी जैसे–पुलिस, सशस्त्र या सुरक्षा बल, लोक सेवक, सुरक्षा गृह का संरक्षण अधिकारी या ऐसा व्यक्ति जिस पर बालक की सुरक्षा की जिम्मेदारी है।
- वह व्यक्ति अगर बालक की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग, गुदा में अपना लिंग, ऊँगली या किसो वस्तु का प्रवेश करता है या किसी अन्य से करवाता है तो वह गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला है।
- **प्रवेश लैंगिक हमला**– यदि कोई व्यक्ति बालक की योनि, मुँह, मुत्रमार्ग या गुदा में अपना लिंग, ऊँगली या कोई वस्तु प्रवेश करता है या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसा करवाता है तो वह प्रवेशन लैंगिक हमला है।
- **गुरूतर लैंगिक हमला**– विभिन्न परिस्थितियों में एक परिस्थिति यह भी शामिल है कि अगर कोई विश्वसनीय व्यक्ति या अधिकारी जैसे पुलिस के द्वारा किया गया लैंगिक हमला, गुरूत्तर लैगिक हमला है।
- **लैंगिक हमला**– किसी के द्वारा यौन इरादे से किया गया हमला, बच्चे की योनि, लिंग, गुदा या स्तन को छूता है, बच्चे से अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की योनि, लिंग, गुदा या स्तन छूने के लिये बोलता है, बिना प्रवेशन लैगिक इरादे से कोई अन्य काम करता है जिसमें शारीरिक सम्पर्क शामिल है।
- **लैंगिक उत्पीड़न**–अनचाहे लैंगिक चिन्ह दिखाना, इमेल या फोन करना, लैंगिक अनुरोध या मांग करना, शरीर का कोई भाग दूसरो को दिखाना, पीछा करना।
- **अश्लील उद्देश्य के लिये बच्चो का उपयोग**– प्रिंट, इलेक्ट्रानिक, कम्प्यूटर या किसी अन्य दृश्यात्मक सामग्री तैयार करने, उत्पादन और वितरण में बच्चो को शामिल करना।

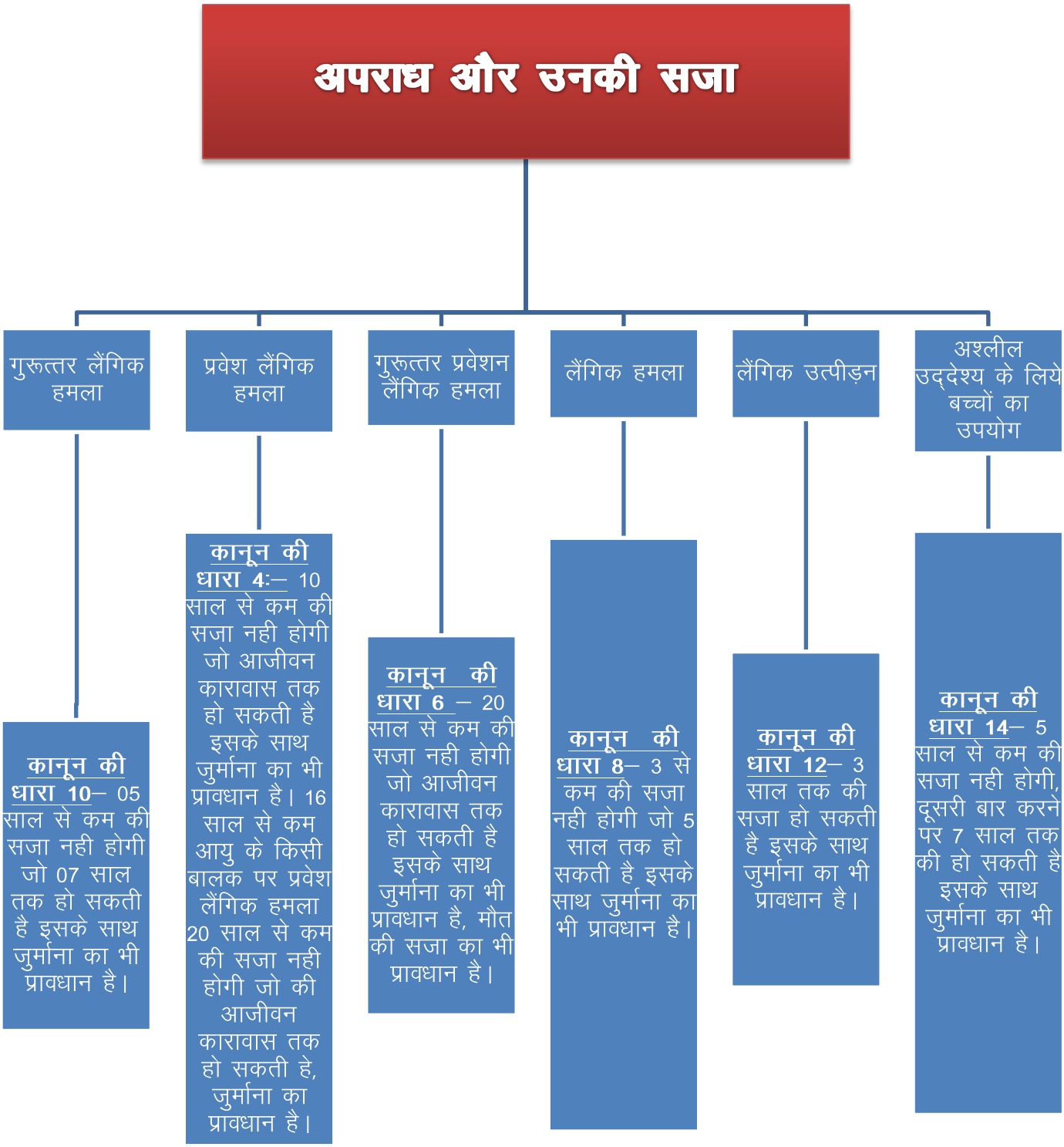
अपराध और उनकी सजा
गुरूत्तर लैंगिक हमला
प्रवेश लैंगिक हमला
गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला
लैंगिक हमला
लैंगिक उत्पीड़न
अश्लील उद्देश्य के लिये बच्चों का उपयोग
कानून की धारा 10– 05 साल से कम की सजा नही होगी जो 07 साल तक हो सकती है इसके साथ जुर्माना का भी प्रावधान है।
कानून की धारा 4:– 10 साल से कम की सजा नही होगी जो आजीवन कारावास तक हो सकती है इसके साथ जुर्माना का भी प्रावधान है। 16 साल से कम आयु के किसी बालक पर प्रवेश लैंगिक हमला 20 साल से कम की सजा नही होगी जो की आजीवन कारावास तक हो सकती हे, जुर्माना का प्रावधान है।
कानून की धारा 6 – 20 साल से कम की सजा नही होगी जो आजीवन कारावास तक हो सकती है इसके साथ जुर्माना का भी प्रावधान है, मौत की सजा का भी प्रावधान है।
कानून की धारा 8– 3 से कम की सजा नही होगी जो 5 साल तक हो सकती है इसके साथ जुर्माना का भी प्रावधान है।
कानून की धारा 12– 3 साल तक की सजा हो सकती है इसके साथ जुर्माना का भी प्रावधान है।
कानून की धारा 14– 5 साल से कम की सजा नही होगी, दूसरी बार करने पर 7 साल तक की हो सकती है इसके साथ जुर्माना का भी प्रावधान है।

**प्र. POCSO अधिनियम के अनुसार बाल अधिकार संरक्षण आयोग के क्या कार्य है?**

❖ POCSO अधिनियम के अनुसार बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कार्यः–

- कानून के क्रियान्वयन की निगरानी।
- कानून के तहत् अपराध पर पूछताछ करना। अपराध से जुड़े तथ्यो का पता लगाना।
- राज्य के विभिन्न एजेन्सियों के काम की निगरानी, पुलिस, न्यायपालिका और बाल सुरक्षा का तंत्र, जो मिलकर काम करती है।
- CWC को उनक अधिकार क्षेत्र में आने वाले विशष मामलों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये कहना।

**प्र. बच्चे की चिकित्सीय जाँच के तरीके क्या–क्या है?**

❖ जाँच के तरीके निम्न हैः–

- लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत् FIR दर्ज न होने के बावजूद पीड़ित बालक मेडिकल जाँच Cr.P.C. 1973 की धारा (164A) के अनुसार की जाएगी।
- पीड़ित लड़की के मामलें में जाँच महिला डाक्टर के द्वारा संचालित की जाएगी।
- चिकित्सीय जाँच बच्चे के अभिभावको या विश्वसनीय व्यक्ति के सामने हो।
- अभिभावकों की अनुपस्थिति में जाँच संस्थान के प्रमुख के द्वारा नियुक्त किसी महिला की उपस्थिति में की जाएगी।

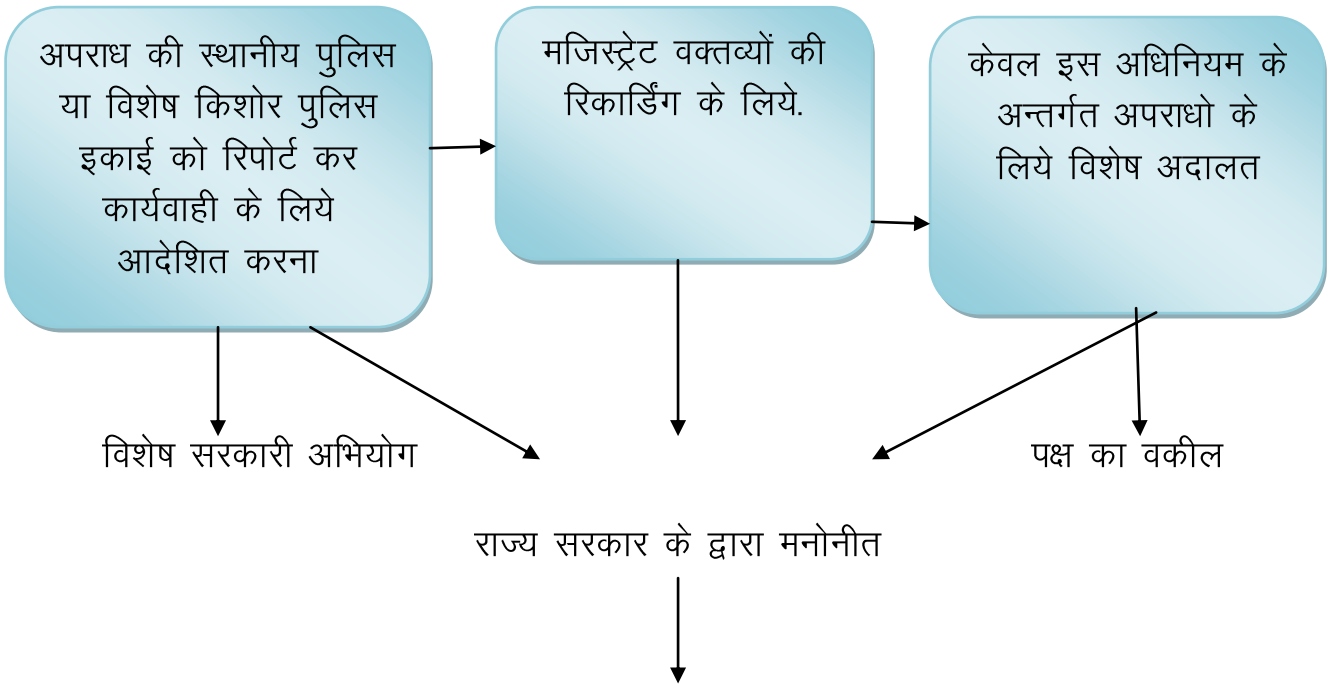

# नालसा (बच्चों के लिये विधिक सेवाएँ और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2015

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण क अंतर्गत यह योजना लागू की गई है। इसकी स्थापना का उद्देश्य बच्चों को प्रभावशाली कानूनी संरक्षण प्रदान करना और न्याय तक बच्चों की पहुँच बनाना है। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समझौते के द्वारा भारत बाध्य है इस योजना और इसके दस्तावेजों में चर्चा किये गए दूसरे कानून पर समझौता में भारत द्वारा दिये गये दायित्वों के क्रम में ही आगे बढ़े है। यहां पर योजना का एक संक्षिप्त परिचय और मुख्य उद्देश्यों के बारे में बताया गया है, इसके बाद के खण्ड दिखाते है कि किस प्रकार इस योजना के प्रावधान इसके उद्देश्यों को वास्तविकता में तब्दील करते है। विधिक सेवा प्राधिकरण और बच्चों के लिये यह योजना किस प्रकार सैद्धांतिक रूपरेखा से ठोस दायित्वों और अधिकार में बदलते है।

## संक्षिप्त परिचय और प्रमुख उद्देश्य

भारत की कुल आबादी का 46% बच्चे है ये अपन आप में एक बड़ा कानून क्षेत्र है। शिक्षा स्वास्थ्य से लेकर पोषण तक जीवन के कई मामलों में बच्चों की जरूरतें अनूठी होती है लेकिन कानून संदर्भ में बच्चों की अनूठी जरूरतों का महत्व कहीं ज्यादा है। प्रतिदिन सैकड़ों बच्चे न्यायिक तंत्र से रूबरू होते है और इस दरम्यान न सिर्फ बच्चों के भविष्य और किस्मत के बारे में न्याय प्रदाताओं के द्वारा फैसले लिये जाते है बल्कि इसी समय बहुत सारे बच्चे यौन शोषण, मानव तस्करी और सामाजिक बुराईयों वाले अपराध जैसे बाल विवाह, बाल मजदूरी आदि के शिकार होते है। उपयुक्त दोनों की श्रेणियों की विशेष जरूरते होती है, जिन्हें साधारण न्याय तंत्र पूरा नहीं कर सकता। इसलिये बच्चों के लिये विशेषज्ञता वाली देखभाल और मदद चाहिये। बजाय इसके कि एक बार न्यायिक तंत्र तक पहुँच कर दो, बल्कि प्रथम स्थान पर ही न्याय तक पहुँचने के लिये उनका सशक्तिकरण भी जरूरी है। इस प्रकार NALSA बच्चों के लिये याजना संचालित कर रही है ताकि न्याय प्रदाता तंत्र को बाल अधिकारों और उनकी विशेष जरूरतों के लिये संवेदनशील बनाया जा सके इसलिये यह आवश्यक है कि इस योजना के संबंध में जागरूकता फैलाई जाये।

## योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है:–

- मूल अधिकारों और लाभों की रूपरेखा बनाना जो बच्चों को प्रदान किये जाने चाहिये।
- देखभाल और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों और विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों सभी स्तरों पर बच्चों के कानूनी प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना ।
- राष्ट्र, राज्य, जिला और तहसील स्तर पर कानूनी सेवाओं, संस्थागत देखभाल, परामर्श और समर्थन सेवाओं को मजबूत करना ।
- वकील, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों, बाल कल्याण समिति के सदस्यों परामर्शदाताओं, पुलिस, सरकारी वकील, न्यायिक अधिकारी, देखभाल करने वाले, स्कूल और अस्पताल आदि को बाल अधिकारों को सुनिश्चित करने वाले कानून और

नीतियों को हर स्तर पर उपलब्ध संरक्षण के संबंध में जागरूक करने और संवेदनशील बनाने के लिये कार्यक्रमों का आयोजन करना।

- इस बात को सुनिश्चित करना कि विभिन्न अधिनियम के अंतर्गत स्थापित व्यवस्थाएं जैसे कि किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, आश्रय गृह आदि संबंधित सरकार के द्वारा स्थापित किये गये है ।
- सरकारी तंत्र, संस्थाओं और बाल अधिकारों की जिम्मदारी वाले गैर सरकारी संगठनों के बीच प्रभावशाली तालमेल और संवाद सुनिश्चित करना ।
- न्यायिक तंत्र में ऐसा माहौल बनाया जाये जिसमें बच्चों की कद्र की जाये व प्रोत्साहित किया जाये और उनके अधिकारों का सम्मान किया जाये और उनके साथ बाल सुलभ मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया जाए।

योजना बाल संरक्षण के प्रमुख उद्देश्यों को ध्यान में रखती है। योजना के प्रावधान चिन्हित लक्ष्यों को प्रतिबिंबित करने की कोशिश करते है और इन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं। अगला खण्ड योजना के अंतर्गत दिये गये प्रावधानों से संबंधित है कि इन उद्देश्यों को कैसे प्राप्त करेंगे।

**योजना का प्रावधानः–**

योजना एक ऐसी व्यवस्था और तंत्र उपलब्ध कराता है जिससे बाल अधिकारों का प्रभावशाली ढंग से संरक्षण हो सके। इस सिद्धांतों को ध्यान से रखना जरूरी है। (विधिक सेवा प्राधिकरण) अधिनियम के तहत ये सात सिद्धांत हैः–

1. अधिकारियों को बाल अधिकारों के सर्वोत्तम हितों को प्राथमिक तौर पर ध्यान में रखना चाहिये ।
2. बाकि अन्य चीजों के अलावा, बच्चों का कल्याण प्राथमिक लक्ष्य और उद्देश्य है।
3. प्रत्येक बच्चों को यह अधिकार है कि उससे गरिमा के साथ व्यवहार किया जाये।
4. प्रत्येक बच्चे के साथ समानता से व्यवहार किया जाएगा और बच्चों के बीच में भेदभाव नहीं होगा।
5. हर बच्चे को सुना जाने और सूचना पाने का अधिकार है और स्वतंत्रता के साथ अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है।
6. प्रत्येक बच्चे को नुकसान, शोषण और उपेक्षा से सुरक्षा और संरक्षण का अधिकार है।
7. प्रत्येक बच्चे की निजता का सम्मान किया जाना चाहिये।

ये सिद्धांत, विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा निर्देशित ह कि ये कैसे काम करेगें, कुछ उद्देश्यो पर पहले चर्चा की जा चुकी है, उदाहरण के तौर पर ये सुनिश्चित करता है कि न्यायतंत्र में बच्चों के अनुकूल माहौल स्थापित किया जायेगा, इसका उद्देश्य विधिक सेवा प्राधिकरण को संवेदनशील बनाना है साथ ही बाल अधिकारों की रूपरेखा तैयार करना भी है।

अधिनियम के अंतर्गत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की बहुत सारी जिम्मेदारियॉ है उनकी जिम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित कर कि अधिनियम जैसे किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम,

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम और किशोर एवं बालश्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम के तहत बाल अधिकारों और न्याय से संबंधित विभिन्न संस्थाएँ आदि स्थापित हो। जहां इन व्यवस्थाओं की स्थापना नहीं हुई है SLSA को चाहिये कि वो संबंधित राज्य सरकार से इस बारे में बात करे। उदाहरण के तौर पर SLSA को ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि किशोर न्याय अधिनियम की धारा 4 के तहत प्रत्येक राज्य के किशोर न्याय बोर्ड का गठन हो चुका है। धारा 27 के तहत, राज्य सरकार को बाल कल्याण समिति का गठन करने की जरूरत है। SLSA को ये सुनिश्चित करना है कि इस आयोग का गठन हो सके इनके साथ–साथ किशोर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा 16 के तहत बाल विवाह निषध अधिकारी की नियुक्ति हो सके। बाल विवाह अधिकार संरक्षण आयोग का गठन राज्य प्राधिकरण को सुनिश्चित करना होता है।

SLSA को सुनिश्चित करना होगा कि इसके पास राज्य के सभी संप्रेक्षण गृहों, आश्रय गृह और बाल देखभाल गृहों का एक डेटाबेस हो। उसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वह सभी राज्यों में पर्याप्त मात्रा में मौजूद और पंजीकृत है। SLSA को राज्य क प्रत्येक जिले में एक संप्रेक्षण व बाल गृह समिति का गठन सुनिश्चित करना होगा।

**समापन टिप्पणीः–**

योजना के प्रावधान व्यापक है और मुख्य प्रावधानों पर यहॉ चर्चा की गई है तथापि, इसको लागू करना एक अलग मामला है। सामाजिक कार्यकर्ता, परालीगल युवा वकील और मुख्य हितधारकों को SLSA द्वारा प्रदत्त दायित्वों का पूरा करने हेतु श्रेष्ठ प्रयास सुनिश्चित करना होगा।

——————xxx——————

**M.P. State Legal Services Authority**

574, South Civil Lines, Jabalpur - 482001

Website : mpslsa.gov.in email : mplsajab@nic.in Toll Free No. 15100